राज सेवकों को 31 तक देना होगा अचल संपत्ति का ब्यौरा

जयपुर | प्रदेश के सभी राज सेवकों (राजपत्रित अधिकारियों) को 31 जनवरी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर परिपत्र जारी किया है। अधिकारियों को एक जनवरी 2023 की स्थिति में अपनी अचल संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से भरना होगा। राज-काज सॉफ्टवेयर का आईपीआर मॉड्यूल 31 जनवरी के बाद बंद हो जाएगा। अचल संपत्ति की सूचना नहीं देने वाले अधिकारियों की प्रशासनिक विभाग की ओर से विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जाएगी। इससे प्रमोशन व वेतन वृद्धि भी नहीं मिलेगी। अधिकारी अपने एसएसओ-आईडी से राज-काज सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन आईपीआर भरने में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर आईटी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

Dainik Bhaskar Pg 18
1/1/2023

POCO
SHOT ON POCO F1